उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

GCMS नं. 2021/165 मुकदमा नं० 37/21 लैण्ड होल्डर सन्

प्रार्थना पत्र धारा 136 हुक्म अथवा कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.7.2021 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत रमेशचंद पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी नरसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी व अन्य ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 27.7.2021 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	
27.7.21 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त हो जाकर पत्रावली दि. 3/8/21 को पेश हो।	
3-8-2021 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र 136 L.R.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13.14:27 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
37/2021	26.7.2021	3.8.2021

1. रमेश चंद पुत्र रामेश्वर प्रसाद, ब्राह्मण नि. नरसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी
2. मदनमोहन पुत्र रामेश्वर प्रसाद, ब्राह्मण नि. नरसिंह कॉलोनी गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 3, 4, 7/838 ग्राम आस्ट्रोली तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद के स्थान पर रामेश्वर लाल अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थीगण के पिता के समस्त सरकारी दस्तावेजात मे प्रार्थीगण के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद अंकित है। प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 472, 448 ग्राम दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी मे प्रार्थीगण के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद अंकित है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम भूमि ख0न0 3, 4, 7/838 ग्राम आस्ट्रोली तह0 गंगापुर सिटी मे रामेश्वर लाल के स्थान पर रामेश्वर प्रसाद अंकित करने का कष्ट करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट मंगवाई गई जो प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी की ओर से अलग से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 ग्राम आस्ट्रोली खाता संख्या 58, फोटोकोपी मतदाता आधार कार्ड प्रार्थी रमेश चंद शर्मा प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम रामेश्वर लाल के स्थान पर रामेश्वर प्रसाद करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम रामेश्वर लाल अंकित है। इस सम्बन्ध मे मौके पर जानकारी करने पर व्यक्तियों ने बताया कि रामेश्वर लाल का नाम रामेश्वर प्रसाद है तथा रामेश्वर प्रसाद एवं रामेश्वर

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

लाल एक ही व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थीगण के पिता का नाम रामेश्वर लाल के स्थान पर रामेश्वर प्रसाद किया जाना उचित है। तहसीलदार की इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रामेश्वर लाल एवं रामेश्वर प्रसाद एक ही व्यक्ति है। तथा रामेश्वर लाल को रामेश्वर प्रसाद किया जाना उचित है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम आस्ट्रोली की जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 58 में दर्ज नाँमें "मदनमोहन पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा. दौलतपुर खातेदार, रमेशचंद पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा. दौलतपुर खातेदार" के स्थान पर मदनमोहन पुत्र रामेश्वरप्रसाद हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा. दौलतपुर, रमेशचंद पुत्र रामेश्वरप्रसाद हिस्सा 1/8 जाति ब्राह्मण सा. दौलतपुर खातेदार खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.8.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:27 IST
Reason: SelfAttested